न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।

जे०ओ०कोड संख्या यू०पी० 2735,

UPBH010036322026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1310/12A/2026

1–सुखदेव विश्वकर्मा आयु 56 साल पुत्र अवतार
2–वीरेन्द्र कुमार मौर्या आयु 28 साल पुत्र मौजीलाल मौर्या
3–सुशील विश्वकर्मा आयु 33 साल पुत्र लौटन
निवासीगण ग्राम पथार खुर्द, थाना खैरीघाट, जनपद बहराइच।

प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य। ..... विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–383/2025
धारा–333, 324(4), 115(2), 352, 351(3) बी.एन.एस. व धारा 3(1)(द ध), 3(2)(5ए) एस०सी०/एस०टी० एक्ट
थाना–खैरीघाट, जनपद बहराइच।

25.08.2026

यह जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्तगण **सुखदेव विश्वकर्मा पुत्र अवतार, वीरेन्द्र कुमार मौर्या पुत्र मौजीलाल मौर्या व सुशील विश्वकर्मा पुत्र लौटन,** निवासीगण ग्राम पथार खुर्द, थाना खैरीघाट, जनपद बहराइच की ओर से विशेष दाण्डिक वाद संख्या 443/2025, अपराध संख्या 383/2025, धारा–333, 324(4), 115(2), 352, 351(3) बी.एन.एस. व धारा 3(1)(द ध), 3(2)(5ए) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना खैरीघाट, जनपद बहराइच, के मामले में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है। नोटिस वादी मुकदमा पर तामील है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि जमानत प्रार्थनापत्र प्रथम है तथा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ या किसी अन्य न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही निरस्त किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण निर्दोष है। अभियुक्त जमानत देने को तैयार हैं।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थिनी की जमीन पर विपक्षीगण कब्जा कर रहे थे। प्रार्थिनी दिनांक 24.07.2025 को समय करीब 12 बजे दिन में प्रार्थिनी एकाएक आ गये और प्रार्थिनी केघर के सामने सहन भूमि पड़ी हुयी है जिसपर दीवाल उठाने के लिए नीव खोदने लगे। प्रार्थिनी ने नीव खोदने से मना किया जिससे विपक्षीगण काफी नाराज हो गये और प्रार्थिनी को गन्दी गन्दी गाली देने लगे तथा जान से मारने के लिए खदेड़े। प्रार्थिनी जान बचाकर धर के अन्दर चली गयी तो पीछे से विपक्षीगण भी प्रार्थिनी के घर में घुस गये तथा प्रार्थिनी को मारा पीटा तथा उसके घर का सामान तोड़ फोड़ दिया। जिससे करीब दस हजार रूपये का नुकसान हुआ तथा जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। घटना को पास पड़ोस के तमाम लोग देखे हैं तथा दीवाल उठाकर प्रार्थिनी का रास्ता बन्द कर दिया है। इसी सम्बन्ध में पक्षों के बीच सुलह समझौता आज दिनांक 20.08.2025 को होना था। शोर पर उसकी लड़की पम्मी उम्र करीब 14 वर्ष बचाने आयी थी तो उसे भी मारा पीटा था।

अभियुक्त के अधिवक्ता की तरफ से यह तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्तगण

निर्दोष है तथा उन्होनें कोई अपराध कारित नहीं किया है। उन्हें रंजिशन फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा को जातिसूचक गालियां नहीं दी है और न ही मारा पीटा है। घटना बिल्कुल फर्जी है। पक्षकारों के मध्य जमीनी विवाद है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। एस.सी./एस.टी.एक्ट की धाराओं को छोड़कर बी०एन०एस० की सभी धारायें मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्तगण पूर्व से अंतरिम जमानत पर है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना किया गया।

इसके विपरीत अभियोजन की तरफ से जमानत का विरोध किया गया।

मैंने जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा सम्बन्धित पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा को घर में घुसकर मारने पीटने, नुकसान करने, जातिसूचक गालियां देने, अपमानित करने, जान से मारने की धमकी देने का प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख है। एस.सी./एस.टी.एक्ट की धाराओं को छोड़कर बी०एन०एस० की सभी धारायें मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत नहीं किया गया है। विवेचना के पश्चात विवेचक द्वारा आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण पूर्व से अंतरिम जमानत पर है। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अभियुक्तगण द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग किया गया हो।

अतः उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में गुणदोष पर बगैर कोई मत व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत किया गया यह जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मु०–25,000/–(पचीस हजार) रूपये के निजी बन्धपत्र एवं इसी धनराशि के दो–दो प्रतिभू पत्र निष्पादित करने पर निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

1– प्रार्थी/अभियुक्तगण आरोप/धारा 351 बी०एन०एस०एस०(धारा 313 द०प्र०सं०) के बयान के दिनांक को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।

2– अभियुक्तगण अभियोजन साक्षियों को किसी भी प्रकार से न डरायेगें, धमकायेगें और न ही अभियोजन साक्षियों से छेड़–छाड़ करेंगे।

3– अभियुक्तगण जमानत पर अवमुक्त होने के उपरान्त न्यायालय में नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगें तथा विचारण में सहयोग करेगें,जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगें तथा जमानत अवधि में कोई अविधिक क्रिया कलाप नहीं करेगें।

(पवन कुमार शर्मा–II)

दिनांकः 25.08.2026 विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट),बहराइच।